संख्या–3295 / 9–आ–3–72विविध / 94

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद ।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक–27 अगस्त,2002

विषय : गाज़ियाबाद महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पत्र संख्या 332 / नियो.अनु. / 2002 दिनांक 10.7.2002 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379 / 9–आ–3–72–वि / 94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 17.6.2002 को आयोजित बैठक में कतिपय संशोधनों विशेष रूप से शासन की औद्योगिक एवं फिल्म नीति के परिप्रेक्ष्य में अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड बना निम्न संशोधनों सहित अंगीकृत प्रस्ताव पर शासन का अनुमोदन प्रदान किया जाता हैः–

(i) ''बृहद् उद्योग'' भू–उपयोग जोन में पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेज एवं उच्च तकनीकी एवं मैनेजमेन्ट संस्थान, सिनेमा तथा मल्टीप्लेक्स विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य होगा,

(ii) ''सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएं'' भू–उपयोग में पशुबधशाला शहरीकरण क्षेत्र (न्तइंदपेंइसम) के बाहर सशर्त अनुमन्य होगा,

(iii) आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुलग्नक–(ए) के अनुसार अनुमन्य दैनिक उपयोग की दुकानों हेतु प्रभाव शुल्क देय होगा।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 ''प्रमुख भू–उपयेाग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं / उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण / प्रिटिंग सम्बन्धी निम्न त्रुटियां रह गई थी, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक हैः–

(i) आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक–1.1 पर एकल आवास को कृषि भू–उपयोग जोन के (कालम–14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,

(ii) क्रमांक–1.2 पर समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) को कृषि भू–उपयोग जोन के कालम–14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,

(iii) क्रमांक–6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक–6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू–उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :–

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू–उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्‌टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. उपर्युक्त त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण आवास विभाग के वर्ष 2002–01 के शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में कर दिया गया है जिसकी प्रति आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत जोनिंग रेगुलेशन्स के संशोधित मैट्रिक्स की एक प्रति आपके उपयोगार्थ संलग्न है। कृपया संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू–उपयोग विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से नए जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (6 पृष्ठ)

भवदीय,

जे.एस.मिश्र
सचिव

संख्या : 3295(1)9–आ–3–72वि0/94 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

संजीव कुमार
विशेष सचिव